187 27 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) में बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे वाले कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए दिनांक 1.1.2007 से वेतनमानों का संशोधन –के संबंध में

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 2.4.2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। इस संबंध में उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4 और 5 पर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. फिटमेंट के तरीके के उद्देश्य से उनकी रिपोर्ट की तालिका 6.7 में पैरा 6.2.3 (ख) में द्वितीय वेतन संशोधन समिति (2nd पीआरसी) ने ''1.1.2007 की स्थिति के अनुसार मूल वेतन और स्टैगनेशन वेतनवृद्धि (वैयक्तिक वेतन/विशेष वेतन को शामिल न किया जाए)'' की सिफारिश की है। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए डीपीई के दिनांक 26.11.2008 और 02.04. 2009 में यह विहित किया गया है कि फिटमेंट के प्रयोजन से 1.1.2007 की स्थिति के अनुसार केवल मूल वेतन, स्टैगनेशन वेतन वृद्धि, महंगाई वेतन और महंगाई भत्ते पर ही विचार किया जाए।

3. सीपीएसई के कार्यपालकों के वेतन संशोधन से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा गठित की गई मंत्रियों की समिति ने यह पाया है कि ''न्यायाधीश मोहन समिति (पहली पीआरसी) ने 01.01.1997 से कोई 'सुरक्षित वेतन' की सिफारिश नहीं की थी। यह भी नोट किया गया है कि फिटमेंट के प्रयोजन से द्वितीय पीआरसी ने 01.01.2007 की स्थिति के अनुसार मूल वेतन और स्टैगनेशन वेतन वृद्धि को शामिल करने के लिए विशेष रूप से सिफारिश की थी और वैयक्तिक वेतन/विशेष वेतन को हटाने की भी सिफारिश की थी। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है''। मंत्रियों की समिति ने भी यह निष्कर्ष निकाला है कि ''सरकार के निर्णय को संशोधित करने के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है''।

सरकार ने मंत्रियों की समिति की उपर्युक्त सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया है और इस संबंध में डीपीई के दिनांक 02.04.2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के जरिए आदेश जारी किए गए।

4. डीपीई के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन में अन्य बातों के साथ–साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कार्यपालकों/गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के संदर्भ में भूतलक्षी प्रभाव से कोई असाधारण वेतन वृद्धि (वेतन वृद्धियां) स्वीकृत की गई हैं और/अथवा वेतन बढ़ाया गया है, जिससे 01.01.2007 की स्थिति के अनुसार वेतन संशोधन प्रभावित होता है, तो फिटमेंट/वेतन संशोधन के प्रयोजन से ऐसी वेतन वृद्धि और/अथवा बढ़ाए गए वेतन की अनदेखी कर दी जाएगी।

5. इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि मंत्रियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह पाया है कि डीपीई के दिशानिर्देशों से किसी भी प्रकार के विचलन/उल्लंघन को स्थायी रूप से जारी नहीं रखा जा सकता है। मंत्रियों की समिति ने यह भी सिफारिश की है कि ''यदि इनके कार्यान्वयन में कोई विचलन अथवा विसंगति हो गई है, तो उन्हें अब ठीक करने की आवश्यकता है।''

6. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को इस संबंध में उचित ध्यान देना चाहिए ताकि फिटमेंट के प्रयोजन से 01.01.2007 की स्थिति के अनुसार किसी सीपीएसई में अलग–अलग कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन की गणना डीपीई द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार

की जा सके। कोई भी असाधारण/अनाधिकृत वेतनवृद्धि अथवा वेतन में वृद्धि, जो डीपीई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं, को कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन के लिए उनकी अनदेखी कर दी जानी चाहिए। सीपीएसई को उपयुक्त अनुदेश दिए जाने चाहिए।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2 (76)/2008–डीपीई (डब्ल्यूसी), दिनांक 09 अप्रैल 2009)

*****